क्रम-संख्या–204

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल० डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 8 दिसम्बर, 2023

अग्रहायण 17, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 579 / 79-वि-1–2023-1-क-18-2023

लखनऊ, 8 दिसम्बर, 2023

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 जिससे राज्य कर अनुभाग–2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 7 दिसम्बर, 2023 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2023 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2023)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जायेगा।

(2) यह तारीख 1 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 में, –

(क) खंड (80) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिये जाएंगे, अर्थात् :–

(80क) "ऑनलाइन गेम खेलना" से इंटरनेट या इलैक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर गेम की प्रस्थापना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऑनलाइन धनीय गेम खेलना भी है;

(80ख) "ऑनलाइन धनीय गेम खेलना" से ऐसा ऑनलाइन गेम खेलना अभिप्रेत है, जिसमें खिलाड़ी किसी आयोजन में, जिसमें गेम, स्कीम, प्रतिस्पर्धा या कोई अन्य क्रियाकलाप या प्रक्रिया भी है, धन या धन के मूल्य, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी है, को जीतने की प्रत्याशा में, धन या धन के मूल्य का संदाय या जमा करता है, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी है, चाहे इसका परिणाम या निष्पादन कौशल, अवसर या दोनों पर आधारित हो या नहीं, तथा चाहे वह तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अनुज्ञेय हो या नहीं;

(ख) खंड (102) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :–

"(102क) "विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावे" से,–

(i) दांव लगाने;

(ii) कैसिनो;

(iii) द्यूतक्रीड़ा;

(iv) घुड़दौड़;

(v) लाटरी; या

(vi) ऑनलाइन धनीय गेम खेलना,"

में अंतर्वलित या उनके माध्यम से अनुयोज्य दावा अभिप्रेत है।

(ग) खंड (105) में, अंत में, निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :–

"परंतु यह कि कोई व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों की पूर्ति की व्यवस्था या ठहराव करता है, जिसके अंतर्गत वह व्यक्ति भी है, जो ऐसी पूर्ति के लिए डिजिटल या इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म का स्वामी है या उसका प्रचालन या प्रबंधन करता है, ऐसे अनुयोज्य दावों का पूर्तिकार समझा जाएगा, चाहे ऐसे अनुयोज्य दावे, उसके द्वारा या उसके माध्यम से पूर्ति किए जाते हों और चाहे ऐसे अनुयोज्य दावों की पूर्ति के लिए धन या धन के मूल्य, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी है, में प्रतिफल, उसको या उसके माध्यम से संदत्त या सूचित किए जाते हैं या किसी भी रीति में उसको दिए जाते हैं और इस अधिनियम के सभी उपबंध विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों के ऐसे पूर्तिकार पर लागू होंगे, मानो वह ऐसे अनुयोज्य दावों की पूर्ति करने के संबंध में कर का संदाय करने के लिए दायी पूर्तिदाता हो ।"

(घ) खंड (117) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात:–

"(117क) "आभासी डिजिटल आस्ति" का वही अर्थ होगा, जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (47क) में उसके लिए समनुदेशित है"।

धारा 24 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 24 में,–

(क) खंड (xi) में, अंत में आने वाला शब्द "और" निकाल दिया जाएगा;

(ख) खंड (xi) के पश्चात, निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:–

"(xiक) भारत से बाहर किसी स्थान से, भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन धनीय गेम खेलने की पूर्ति करने वाला प्रत्येक व्यक्ति; और"।

अनुसूची 3 का संशोधन

4–मूल अधिनियम में, अनुसूची 3 में, पैरा 6 में शब्द "लाटरी, दांव और द्यूत" के स्थान पर, शब्द "विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों" रख दिये जाएंगे ।

संक्रमणकालीन उपबंध

5–इस अधिनियम के अधीन किए गए संशोधन, दांव लगाने, कैसिनो, द्यूतक्रीड़ा, घुड़दौड़, लाटरी या ऑनलाइन गेम खेलने को प्रतिषिद्ध, निर्बंधित या विनियमित करने का उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे ।

निरसन और व्यावृत्ति

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16 सन् 2023

6–(1) उत्तर प्रदेश माल ओर सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2023 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017), जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है, उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा माल या सेवाएं या दोनों की अन्तर्राज्यीय पूर्ति पर कर के उद्ग्रहण तथा संग्रहण और उससे सम्बन्धित या आनुषांगिक मामलों का उपबंध करने के लिये अधिनियमित किया गया है।

भारत का संविधान के अनुच्छेद 246क(1) के उपबंधों के अनुसार, संसद और राज्य विधानमण्डल, दोनों को माल और सेवा कर अधिरोपित करने के लिए विधि बनाने की शक्ति है। जीएसटी परिषद की सिफारिश पर, केन्द्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2023) द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 12 सन् 2017) में कतिपय संशोधन किए गए, जिसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया और इसे 18 अगस्त, 2023 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई।

उपर्युक्त के दृष्टिगत केन्द्रीय अधिनियम एवं राज्य अधिनियम में एकरूपता बनाये रखने की दृष्टि से, राज्य स्तर पर भी केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किये गये संशोधनों को सम्मिलित करने हेतु उक्त अधिनियम में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया।

चूँकि राज्य विधानमण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित किये जाने हेतु तुरंत विधायी कार्रवाई आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 30 सितम्बर, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16 सन् 2023) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक, पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।